न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 08/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/151

निगरारीकार

1. ज्ञानाराम पुत्र श्री मेहराम जाति जाट
2. चन्द्राराम घासल पुत्र श्री रामदीन जाति जाट
3. देवाराम पुत्र श्री गीगाराम जाति जाट
4. सुरजमल पुत्र श्री सुखदेव जाति जाट समस्त निवासीगण लिखियास तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

गैरनिगरानीकार

1. गोधाराम पत्र घीसाराम
2. सुगनी पत्नी गोधाराम
   जाति जाट समस्त निवासीगण लिखियास तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, झालरा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।
4. ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा पंचायत, झालरा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वास्ते निरस्त करने पट्टा संख्या 01, बुक नम्बर 41 व पट्टा संख्या 37/2021 व संकल्प संख्या 06 दिनांक 04.03.2021 ग्राम पंचायत, झालरा

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव वकील निगरारीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 07.04.2025

निगरानी के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से हैः–

1. ग्राम लिखियास ग्राम पंचायत झालरा में खसरा नम्बर 385/262 किस्म बारानी रकबा 4.7517 हैक्टेयर भूमि जो राज्य सरकार के नाम से दर्ज है तथा इस भूमि में गौशाला व अन्य गायों के लिए चारागाह बने हुये है, जिसका उपयोग व उपभोग ग्रामवासीयों द्वारा गौशाला व अन्य गायों के लिए चारागाह के रूप में ही लिया जाता रहा है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने बाले बाले रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 से मिलीभगत करके राज्य सरकार की भुमि के पट्टे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के नाम जारी कर दिये, जिसकी जानकारी होने पर दोनों पट्टों की प्रमाणित प्रति लेने पर जानकारी हुई है, जिससे व्यथित होकर अपील निम्न आधारों पर पेश की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

:–निगीरनी के आधार–:

1. ग्राम लिखियास के खसरा नम्बर 385/626 रकबा 4.7517 हैक्टेयर जो कि बारानी किस्म है, जिसमें गौशाला की व अन्य गायों के लिए चारागाह बना हुआ है, में से उक्त दोनों पट्टे जारी कर दिये गये है, जो अवैध है।
2. उक्त जायगा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का किसी प्रकार का कोई भौतिक व वास्तविक रूप से कब्जा नहीं है तथा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त पट्टे जारी कर दिये गये है।
3. खसरा नम्बर 385/262 रकबा 4.7517 हैक्टेयर का धारक राज्य सरकार है, इस खसरे में से किसी भी कानून व नियम के तहत किसी अन्य के नाम से पट्टे दिये जाने कानूनन अपराध है।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 से मिलीभगत कर उक्त पट्टे जारी किये गये है, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है व जिससे ग्राम लिखियास की सम्पूर्ण व्यवस्था बिगड़ने का अन्देशा है।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के विरूद्ध उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये तहसीलदार पीलवा द्वारा बेदखली की कार्यवाही के तहत धारा 91 आर. एल. एक्ट की भी की जा चुकी है, जिसकी प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ पेश है।

अतः निगरानीकार निगरानी पेश कर सादर नम्र निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर पट्टा संख्या 01 बुक नम्बर 41 व पट्टा संख्या 37/2021 व संकल्प संख्या 06 दिनांक 04.03.2021 ग्राम पंचायत, झालरा को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम लिखियास ग्राम पंचायत झालरा में खसरा नम्बर 385/262 किस्म बारानी रकबा 4.7517 हैक्टेयर भूमि जो राज्य सरकार के नाम से दर्ज है तथा इस भूमि में गौशाला व अन्य गायों के लिए चारागाह बने हुये है, जिसका उपयोग व उपभोग ग्रामवासीयों द्वारा गौशाला व अन्य गायों के लिए चारागाह के रूप में ही लिया जाता रहा है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने बाले बाले रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 से मिलीभगत करके राज्य सरकार की भुमि के पट्टे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के नाम जारी कर दिये, अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत झालरा द्वारा जारी किये गये पट्टा सं0 01 व 37/2021 को खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार परबतसर व विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर की संयुक्त मौका रिपोर्ट ली गई। संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत झालरा द्वारा पट्टा सं0 37 दिनांक 04.03.2021 [illegible] दाराम पुत्र घीसाराम निवासी लिखियास के नाम जारी किया गया। उक्त ग्राम लिखियास की गै0मु0 आबादी भूमि खसरा सं0 259 रकबा 1.1000 हैक्टेयर में से जारी किया गया है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत झालरा के नाम से दर्ज है। उक्त पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

ग्राम लिखियास के खसरा सं0 385/262 किस्म बारानी से जारी नहीं किया गया है।

मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत झालरा द्वारा खसरा सं0 259 रकबा 1.1300 हैक्टयर किस्म गै0मु0 आबादी में से जारी किया गया है। जो कि ग्राम पंचायत झालरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज है। निगरानीकार का मुख्य आरोप है कि ग्राम लिखियास ग्राम पंचायत झालरा में खसरा सं0 385/262 किस्म बारानी रकबा 4.7517 हैक्टयर भूमि जो राज्य सरकार के नाम से दर्ज है उक्त भूमि में से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये है। जबकि ग्राम पंचायत झालरा द्वारा खसरा सं0 259 किस्म गै0मु0 आबादी में से पट्टे जारी किये गये है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:02 IST
Reason: SelfAttested